राजस्थान सरकार
न्याय विभाग

क्रमांकः प.2(6) मूल्यांकन/न्याय/2018/69 जयपुर, दिनांक 16.03.2022

अतिरिक्त मुख्य सचिव/
शासन प्रमुख सचिव/
शासन सचिव।

विषयः— 1 से 10 वर्ष तक के लम्बित न्यायिक प्रकरणों की सूची उपलब्ध करवाने बाबत।

महोदय/महोदया,

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक प.2(2)सामान्य/न्याय/2018 दिनांक 14.02.2019 के माध्यम से 20 वर्ष से अधिक के लम्बित न्यायिक प्रकरणों एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 18.09.2019 के माध्यम से 10 से 20 वर्ष तक के लम्बित न्यायिक प्रकरणों की सूची निर्धारित परिशिष्ट में प्रेषित करने एवं उक्त प्रकरणों की प्रकरणवार समीक्षा करने हेतु राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी, लाईट्स को निर्देशित करने का अनुरोध किया गया था।

इसी क्रम में 1 से 10 वर्ष तक के लम्बित न्यायिक प्रकरण लाईट्स सॉफ्टवेयर में Dashboard एवं Summary reports :> Attention Warranted report में प्रदर्शित किये गये है।

उक्त वर्णन की पृष्ठभूमि में आपसे अनुरोध है कि संलग्न परिशिष्ट में आपके विभाग (जिसमें विभागाध्यक्ष व प्रशासनिक विभाग के स्तर के एक से दस वर्ष तक के लम्बित न्यायिक प्रकरण शामिल हैं) से सम्बन्धित सूचना भी इन्द्राज कर इस विभाग को ई—मेल (justice-deptt@rajasthan.gov.in) के माध्यम से प्रेषित करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को एवं राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी, लाईट्स द्वारा मासिक समीक्षा बैठक में उक्त प्रकरणों की प्रकरणवार समीक्षा करने हेतु निर्देशित करने का श्रम करें।

भवदीय

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

शासन विशिष्ट सचिव

D:\SO\ P. 2(6) LITES – Evaluation Report

परिशिष्ट

Format for List of Pending Cases

S.No	Case Registration Date	Case No./ Year/ Abbrivation	Court Name & Place	Petitioner Appellant V/s Non Petitioner/ Respondent	Name of Lawyer	Name of OIC	Present Stage